द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 01/2023 लोक सेवा गारंटी (GCMS/2023/22)
दायर दिनांक - 22.03.2023
निर्णय दिनांक - 11.07.2023

श्री चांदमल पिता भेराराम, निवासी राजसुपर होटल, एनएच 8 के सामने भीम, जिला राजसमंद	**बनाम**	प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमंद

द्वितीय अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, 2011

-: निर्णय :-

श्री चांदमल पिता भेराराम, निवासी राजसुपर होटल, एन एच 8 के सामने, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमंद (राज.) ने राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत द्वितीय अपील कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा वांछित सूचनाएं प्रमाणित उपलब्ध नही कराये जाने से द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 844 दिनांक 22.03.2023 से श्री चांदमल पिता भेराराम द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील की प्रति प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमंद ने अपील का जबाव/निर्णय प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पदाभिहित अधिकारी-लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2023 अनुसार वांछित रेकार्ड तलाश करने पर उपलब्ध हो जाने से प्रमाणित प्रतियां आवेदक/अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। परंतु रीडर कोर्ट की रिपोर्ट अनुसार दिनांक 07.04.2020 तक पत्रावली पेशी रजिस्टर में अंकन होकर पत्रावली पेशी पर होना तथा उसके बाद पेशी रिजस्टर में अंकन नही होना तथा पत्रावली खो जाने बाबत पुलिस स्टेशन, भीम पर एफ. आई. आर. दर्ज कर कार्यवाही हेतु पत्रांक दिनांक 06.04.2023 से लिखा जाने संबंधी कार्यवाही करना व पत्रांक दिनांक 12.04.2023 से प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाते हुए पत्रांक दिनांक 12.04.2023 से वांछित रेकार्ड तलाश करने पर उपलब्ध हो जाने से प्रमाणित प्रतियां आवेदक/अपीलार्थी को उपलब्ध कराने संबंधी अनुरोध करना, यह स्पष्ट जाहिर होता है कि पदाभिहित अधिकारी-लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा न्यायालय को गलत सूचना देना तथा अपीलार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाना अनुशासनहितना की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है तथा पदाभिहित अधिकारी-लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली पेशी डायरी में निरंतर अंकित नहीं होने तथा पत्रावली गुमजाने संबंधी किस रीडर/कार्मिक की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी फिक्स की जाकर न्यायालय को अवगत करावे, ताकि संबंधित के

विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकें। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 01 दिनांक 03.07.2023 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ईमेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न ही किसी भी माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपील पर प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमंद के जवाब/निर्णय एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि पदाभिहित अधिकारी-लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2023 अनुसार वांछित रेकार्ड तलाश करने पर उपलब्ध हो जाने से प्रमाणित प्रतियां आवेदक/अपीलार्थी को उपलब्ध करवादी गई है तथा पदाभिहित अधिकारी-लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा न्यायालय को गलत सूचना देना तथा अपीलार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने संबंधित रीडर/कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत पदाभिहित अधिकारी-लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम को निर्देशित किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा भी प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमंद के उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किये जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखने की स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपील पर प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमंद के उत्तर से सन्तुष्ट है।

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमंद अनुसार पत्रांक दिनांक 12.04.2023 से अपीलार्थी के आवेदन पर सूचना उपलब्ध करवाई गई है एवं दोषी रीडर/कार्मिक के विरूद्ध अनशासनात्मक कार्यवाही बाबत पदाभिहित अधिकारी-लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम को निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवचेन एवं प्रकरण की वस्तुस्थिति से स्पष्ट होता है कि प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन से मांगी गई उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमंद
2. श्री चांदमल पिता भेराराम, निवासी राजसुपर होटल, एनएच 8 के सामने भीम, जिला राजसमंद को सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय आयुक्त, उदयपुर